संख्या-942/2017/2326/22-2-2017-17(636)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री भंवर सिंह, जो मीतली, थाना-बागपत, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी ने दीवार पर प्लास्टर व दरवाजा लगाये जाने की रंजिश में दिनांक 13.06.1992 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर फर्से, बल्लम से वारकर सुरेन्द्र सिंह की हत्या की एवं मिट्टी का तेल उालकर जलाने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1198/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 त्रयोदशअपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 15.12.2000 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-3430/2000 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2002 मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है बन्दी का 01 सहअभियुक्त पुलिस हिरासत से फरार, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दीवार पर प्लास्टर व दरवाजा लगाये जाने की रंजिश में दिनांक 13.06.1992 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर फर्से, बल्लम से वारकर सुरेन्द्र सिंह की हत्या की एवं मिट्टी का तेल उालकर जलाने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 54 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश पुत्र श्री भवंर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जय प्रकाश (बन्दी संख्या-6209) पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-942/2017/2326(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-942/2017/2326/22-2-2017-17(636)/2017

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी जनपद-बागपत, जो मीतली, थाना-बागपत, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी ने दीवार पर प्लास्टर व दरवाजा लगाये जाने की रंजिश में दिनांक 13.06.1992 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर फर्से, बल्लम से वारकर सुरेन्द्र सिंह की हत्या की एवं मिट्टी का तेल ठालकर जलाने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1198/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 त्रयोदशअपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 15.12.2000 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-3430/2000 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2002 मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है बन्दी का 01 सहअभियुक्त पुलिस हिरासत से फरार, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दीवार पर प्लास्टर व दरवाजा लगाये जाने की रंजिश में दिनांक 13.06.1992 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर फर्से, बल्ल्म से वारकर सुरेन्द्र सिंह की हत्या की एवं मिट्टी का तेल ठालकर जलाने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 54 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश पुत्र श्री भवंर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in